न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 08 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1/1. कमलेश राजे पुत्री धन्नालाल पत्नि ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी विद्या कॉलोनी, गुना
1/2. शैलेन्द्र पुत्र धन्नालाल
1/3. मनोज पुत्र धन्नालाल
1/4. विनिता पुत्री धन्नालाल जातिगण जाटव निवासीगण वार्ड नं. 7 न्यू नाकोड़ा कॉलोनी, बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 04.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 979 रकबा 0.26 है. किस्म नहरी 2, 980 रकबा 0.80 है. किस्म नहरी 2, 981 रकबा 0.12 है. किस्म नहरी 2, 988 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, 989 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी I, 991 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी I, 1086 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2, 1087 रकबा 0.33 है. किस्म नहरी 2, 1089 रकबा 0.08 है. किस्म नहरी 2, 1090 रकबा 0.89 है. किस्म नहरी 2 कुल किता 10 रकबा 2.12 है. वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा नंबर 565 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई, 563 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 532 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 527 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई थे तथा वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–2057 में हाल खसरा नंबर 979 रकबा 0.26 है. किस्म नहरी 2, 980 रकबा 0.06 है. किस्म नहरी 2, 981 रकबा 0.12 है. किस्म नहरी 2, 988 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, 989 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी I, 991 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी I, 1086 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2, 1087 रकबा 0.33 है. किस्म नहरी 2, 1089 रकबा 0.08 है. किस्म नहरी 2, 1090 रकबा 0.89 है. किस्म नहरी 2 कुल किता 10 रकबा 2.12 है. कायम [illegible] उक्त आराजी दिनांक 02.07.1968 को अप्रार्थीगण की माता सीतादेवी [illegible] निवासी फतेहपुर को आवंटन हुई थी। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज होना नियम विरूद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमियों की किस्म पूर्ववत
दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16
के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल
रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004
अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन दिनांक
02.07.1968 निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन
किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब
किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु
पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब
अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक
अप्रार्थीगण की सुनी गयी।

3– दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
कथन किया कि ग्राम गोरधनपुरा की सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा
नंबर साबिक खसरा नंबर 565 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई, 563 रकबा 2
बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 532 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 527
रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई थे तथा वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–2057 में
हाल खसरा नंबर 979 रकबा 0.26 है. किस्म नहरी 2, 980 रकबा 0.06 है. किस्म नहरी 2,
981 रकबा 0.12 है. किस्म नहरी 2, 988 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, 989 रकबा 0.10 है.
किस्म नहरी I, 991 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी I, 1086 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2,
1087 रकबा 0.33 है. किस्म नहरी 2, 1089 रकबा 0.08 है. किस्म नहरी 2, 1090 रकबा 0.
89 है. किस्म नहरी 2 कुल किता 10 रकबा 2.12 है. रहे हैं। उक्त आराजी दिनांक
02.07.1968 को अप्रार्थीगण की माता सीतादेवी पत्नि धन्नालाल जाति जाटव निवासी
फतेहपुर को आवंटन की जाकर खाते दर्ज की गयी है। जिस वक्त भूमि की किस्म
परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा
नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में
दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I व नहरी 2 दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण की
माता को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य
है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में
जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या
1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति
में दर्ज किये जाने के आदेश ... के निर्णयानुसार उक्त
आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत ... आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना
आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां ... प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की माता सीतादेवी पत्नि धन्नालाल जाति जाटव निवासी फतेहपुर को काबिल काश्त होने से आवंटन की जाकर कब्जा दिया गया था जो अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रही तथा उनके बाद उनके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्राथीगर्ण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 42 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई, 563 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 532 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 527 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण की माता सीतादेवी पत्नि धन्नालाल को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 979 रकबा 0.26 है. किस्म नहरी 2, 980 रकबा 0.06 है. किस्म नहरी 2, 981 रकबा 0.12 है. किस्म नहरी 2, 988 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, 989 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी I, 991 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी I, 1086 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2, 1087 रकबा 0.33 है. किस्म नहरी 2, 1089 रकबा 0.08 है. किस्म नहरी 2, 1090 रकबा 0.89 है. किस्म नहरी 2 कुल किता 10 रकबा 2.12 है. बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की माता को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण की मता को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

6— माननीय राज[illegible] जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनव[illegible] रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी [illegible] किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम [illegible] विरूद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अ[illegible]र में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 979 रकबा 0.26 है. किस्म नहरी 2, 980 रकबा 0.06 है. किस्म नहरी 2, 981 रकबा 0.12 है. किस्म नहरी 2, 988 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, 989 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी I, 991 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी I, 1086 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2, 1087 रकबा 0.33 है. किस्म नहरी 2, 1089 रकबा 0.08 है. किस्म नहरी 2, 1090 रकबा 0.89 है. किस्म नहरी 2 कुल किता 10 रकबा 2.12 है., जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 565 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई, 563 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 532 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई, 527 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बने हैं जिसका अप्रार्थीगण की माता को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.26 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested